रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052024-254400 CG-DL-E-28052024-254400

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272]

No. 272]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 28, 2024/ज्येष्ठ 7, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, MAY 28, 2024/JYAISHTHA 7, 1946

> स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2024

सा.का.िन. 293(अ).—ओषिध नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कितपय नियमों का प्रारूप, ओषिध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 33 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 27 फरवरी, 2024 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.िन. 139(अ) तारीख 27 फरवरी, 2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिन की अविध की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 27 फरवरी, 2024 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

3241 GI/2024 (1)

अत:, अब केंद्रीय सरकार, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, ओषधि नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ओषधि (तीसरा संशोधन) नियम, 2024 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. ओषधि नियम, 1945 के नियम 43क में, "बैंगलूरू और विशाखापत्तनम" शब्दों के स्थान पर, "बैंगलूरू, विशाखापत्तनम, कोचीन और तिरूवनन्तपुरम" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एक्स.11035/131/2022-डीआर] राजीव वधावन, सलाहकार (लागत)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.28-10/45-एच(1), तारीख 21 दिसंबर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 216(अ), तारीख 18 मार्च, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (Department of Health and Family Welfare) NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2024

**G.S.R. 293(E).**—Whereas a draft of certain rules further to amend the Drugs Rules, 1945 was published, as required under sub-section (1) of section 12 and sub-section (1) of section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) vide notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) number G.S.R. 139(E), dated the 27<sup>th</sup> February, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) dated the 27<sup>th</sup> February, 2024, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the  $27^{th}$  February, 2024;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs Rules, 1945, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Drugs (Third Amendment) Rules, 2024.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Drugs Rules, 1945, in rule 43A, for the words "Bengaluru and Visakhapatnam", the words "Bengaluru, Visakhapatnam, Cochin and Thiruvananthapuram" shall be substituted.

[F. No. X.11035/131/2022-DR]

RAJIV WADHAWAN, Adviser (Cost).

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number F.28-10/45-H(1), dated the 21st December, 1945 and last amended vide notification number GSR 216 (E), dated the 18th March, 2024.